

11/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 32/2016

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 विकास अधिकारी मारवाड जंक्शन		1 रूपाराम पुत्र भोलाजी जाति नायक निवासी वीर दुर्गादास नगर, मारवाड जंक्शन 2 ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन, जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 उपस्थित :-

1. श्री प्रेमराज मारू, पंचायत प्रसार अधिकारी
2. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

-: निर्णय :-

दिनांक 27.03.2017

विकास अधिकारी पंचायत समिति मारवाड जंक्शन ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, मारवाड जंक्शन द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 17.10.1991 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 16.06.2016 को रेकॉर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी भूमि ग्राम मारवाड जंक्शन में आई हुई स्थित है, जो रेल्वे बाउण्ड्री के समीप स्थित है। कानूनन रेल्वे बाउण्ड्री से 100 फीट छोड़कर पट्टा जारी करने के प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को रेल्वे बाउण्ड्री के बाहर रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। यह विधि विरुद्ध है। नियमानुसार पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत की कोरम में प्रस्ताव लिया जाना आवश्यक है, किन्तु जैर निगरानी पट्टा बिना कोरम के प्रस्ताव लिये विधि विरुद्ध रूप से जारी किया गया है। इसमें न तो किसी प्रकार की मिसल कायम की, न आवेदन पत्र लिया गया तथा न ही किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया। जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है, जिससे आम जन का आवागमन बाधित होता है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के किसी भी नियम की पालना किये बगैर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी पट्टा निरस्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का मकान स्थित है। यदि अप्रार्थी द्वारा अपनी पट्टा सुदा भूमि से अधिक भूमि पर निर्माण किया गया है,

विकास अधिकारी, मारवाड जंक्शन, पाली

तो उसे विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए हटवाया जावे। पट्टासुदा भूमि से अधिक भूमि पर निर्माण करने की दशा में पट्टे की प्रक्रिया दूषित नहीं मानी जा सकती है। पट्टा न तो रेल्वे बाउण्ड्री में है तथा न ही रास्ते की भूमि में, पट्टा आबादी भूमि में जारी किया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, मारवाड जंक्शन द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 17.10.1991 के विरुद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत जारी किया गया है। रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवासीय भू आवंटन कराने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी/ग्राम सेवक से जांच अथवा समीक्षा भी नहीं करवाई तथा बिना कोई प्रस्ताव, बिना किसी आदेश के ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के नियम 267 के तहत भूमियों के निःशुल्क आवंटन के प्रावधान है। नियम 267 (2)(क) के तहत पंचायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीण शिल्पियों और भूमिहीन कृषकों को, जिनके पास स्वयं के गृह-स्थल/गृह नहीं है तथा उन बाढ़ पिड़ितों को भी जिनके गृह बह गये हैं अथवा गृह स्थल बाढ़ के कारण से भविष्य में बसने योग्य नहीं है, 150 वर्गगज तक आबादी भूमि गांव की आबादी में मुक्त आवंटित कर सकेगी। जैर निगरानी पट्टे की भूमि का क्षेत्रफल 200 वर्गगज है, जो विहित सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोरम में प्रस्ताव लिया गया तथा न ही आवेदन पत्र की विधि सम्मत जांच एवं समीक्षा की गई, बिना पंचायत प्रस्ताव के अपनी अधिकारीता से अधिक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन की गई है, जो विधि विरुद्ध है।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत, मारवाड जंक्शन द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 17.10.1991 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27.03.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

